तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 06/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
14.5.2024	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल दिताराम पुत्र धुलाजी, जाति– गरासिया, निवासी– दानजी फली, मोरस, पुलिस थाना पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री नटराज सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल वर्तमान में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है। वह अब किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य में संलिप्त नही है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 21.8.2017 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल दिताराम पुत्र धुलाजी, जाति– गरासिया, निवासी– दानजी फली, मोरस, पुलिस थाना पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना पिण्डवाडा में आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के तहत अपराध संख्या 360 दिनांक 20.10.2013, 157 दिनांक 10.5.2014 व 304 दिनांक 21.8.2017 को दर्ज हुये। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराधों में बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 360 दिनांक 20.10.2013, 157 दिनांक 10.5.2014 व 304 दिनांक 21.8.2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इनमें गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 360 दिनांक 20.10.2013, 157 दिनांक 10.5.2014 व 304 दिनांक 21.8.2017 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश क्रमशः 07.11.2013, 21.1.2015 व 27.3.2018 की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त तीनों अपराधों में गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल अवैध शराब परिवहन करने व बेचने संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है। गैरसायल के अवैध रुप से शराब बेचने से युवा एवं किशोर वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैरसायल गुण्ड़ा प्रवृति का व्यक्ति है। .....लगातार	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:28 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 06/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

आदेश

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल दीताराम पुत्र धुलाजी, जाति– गरासिया, निवासी– दानजी फली, मोरस, पुलिस थाना पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15.5.2024 से 14.6.2024 तक की अवधि के लिये तहसील क्षेत्र, पिण्ड़वाडा से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के तहसील क्षेत्र, पिण्ड़वाडा की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। गैरसायल किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने कब्जे में नही रखेगा। गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाट बाजार, सिनेमाघार, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में दिनांक 20.5.2024 तथा 31.5.2024 को पुलिस थाना, कोतवाली सिरोही में अपनी उपस्थिति देगा। थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों तारीख में गैरसायल की उपस्थिति दर्ज कर इसकी सूचना थानाधिकारी, पुलिस थाना, पिण्ड़वाडा को प्रेषित करेंगे। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा एवं इसी कदर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र एवं प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, पिण्ड़वाडा / कोतवाली सिरोही को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:28 IST
Reason: SelfAttested